फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

**अजय कुमार बनाम लो.सू.अधि. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका वैर**

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 71 सन् 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | प्रार्थी/अपीलान्ट अजय कुमार पुत्र श्री मोतीराम निवासी भरतपुर गेट कस्बा वैर, तहसील वैर जिला भरतपुर की यह अपील आर टी आई के तहत **अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका वैर** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।<br>प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी **अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका वैर** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण आर.टी.आई. 2005 के तहत प्रथम अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी **अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका वैर** के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है।<br>अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।<br>जिला कलक्टर<br>भरतपुर | 876<br>31.10.25<br>RTI अपील |